न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर संभाग, सीकर
पीठासीन अधिकारी डॉ0 मोहन लाल यादव (आई.ए.एस)

अपील संख्या 929/2023 (76/2019)

1. संतोष देवी पत्नी स्व0 श्रवण जाति जाट निवासी नेतड़वास, तहसील धोद जिला सीकर
2. चेनाराम पुत्र स्व0 श्रवण जाति जाट निवासी नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर

—:अपीलार्थी:—

बनाम

1. सोहनी पुत्री चोखा जाति जाट निवासी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर
2. उप पंजीयक धोद तहसील धोद जिला सीकर
3. तहसीलदार धोद तहसील धोद सीकर
4. ग्राम पंचायत नेतड़वास प.सं. धोद जिला सीकर जरिये सरपंच

—:प्रत्यर्थीगण:—

उपस्थिति:—
1. वकील श्री सांवरमल अपीलार्थी की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्र जाखड़ की ओर से।

निर्णय

दिनांक:— 30.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा अपील अं0 धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर दिनांक 30.10.2019 पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है भूमि खसरा नं. 183, 221, 442, 443, राजस्व ग्राम नेतडवास तहसील धोद जिला सीकर में स्थित है। भूमि का हिस्सा 1/2 को चोखा पुत्र भूरा जाति जाट खातेदार काश्तकार था तथा हिस्सा 1/2 के खातेदार रामेश्वरी, शिशपाल, दाना, बलवीर, मोहन पुत्र मोटा खातेदार काश्तकार थे। भूमि के रिकार्डेड खातेदार चोखा पुत्र भूरा का देहान्त हो जाने के पश्चात विरासत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 171 दिनांक 30.12.1997 को अणची बेवा चोखा हिस्सा 1/4 व संतोष बेवा श्रवण व चैनाराम नाबालिग संरक्षक माता संतोष के नाम हिस्सा 1/4 के ग्राम पंचायत नेतड़वास द्वारा तस्दीक किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सोहनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के न्यायालय में 18 वर्ष

संभागीय आयुक्त
सीकर

पश्चात एक अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि खसरा नं0 183, 221, 442, 443 जिसमें अपीलान्ट के पिता चोखा का 1/2 हिस्सा था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत नेतडवास द्वारा अपीलान्ट की माता व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम बिना किसी कब्जे व वारिसों की जांच किये नामान्तकरण सं0 171 गलत रूप से भर दिया। अधीनस्थ न्यायालय नामान्तकरण सं0 171 को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता चौखा ने उसकी शादी के समय काफी स्त्रीधन देकर उसे विदा किया था तथा सोहनी देवी ने भी चौखा को आश्वत किया था कि वादग्रस्त भूमि से उसका कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होगा लेकिन उसने अव वदनियति पूर्वक नामान्तकरण तस्दीक होने के 18 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की थी जो सरासर मियाद बाहर थी तथा देरी माफ करने के प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित वो भी संतोषजनक नही था उसके बावजूद नामान्तकरण संख्या 171 को निरस्त करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण में अपीलार्थी सं0 2 व रेस्पोडेन्ट सं0 1 न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रस्तुत अपील में चुनौतीग्रस्त निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के दिनांक 30.10.2019 को पारित आदेश को निरस्त फरमाया किया जावे।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। अपीलार्थी की पहचान अधिवक्ता श्री सांवरमल चौधरी व रेस्पोडेन्ट की पहचान अधिवक्ता श्री महेन्द्र जाखड़ ने की। अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2 चोखा के वारिसान है। जिन्होने लोक अदालत की भावना प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है।

अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 को निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर